हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 23 अगस्त, 2010

संख्याः वि0स0–विधायन–सरकारी विधेयक/1–20/2010.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 20) जो दिनांक 23 अगस्त, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव ।

2010 का विधेयक संख्यांक 20

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

धारा 6 का संशोधन ।

1971 का 8

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 6 में,––

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

''(1) प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल या सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेल मार्ग या वायु मार्ग या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा देश के भीतर या बाहर यात्रा करने का हकदार होगा और वह, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पचहत्तर हजार रुपए के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, होगा।

(ख) उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्:––

''परन्तु सदस्य जब सरकारी प्रवास पर हो तो वह वायुमार्ग या रेलमार्ग या लोक परिवहन द्वारा यात्रा के

दौरान उसके कुटुम्ब द्वारा या उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा में उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, होगाः

परन्तु यह और कि रेलमार्ग या वायु मार्ग या लोक परिवहन द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम वित्तीय वर्ष में पचहत्तर हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।''।

धारा 6–क का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6–क के प्रथम और चतुर्थ परन्तुक में "पन्द्रह हजार" शब्दों के स्थान पर ''बीस हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 6–ख का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 6–ख में,–

(क) उपधारा (1) में ''दस हजार'' शब्दों के स्थान पर ''चौदह हजार'' शब्द रखे जाएंगे। ; और

(ख) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में ''चार सौ'' शब्दों के स्थान पर ''पांच सौ'' शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य सुख–सुविधाएं समिति (ऍमिनिटीज कमेटी) द्वारा की गई सिफारिशों पर सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों के लिए, रेलमार्ग या वायुमार्ग या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) हेतु, और अधिक प्रसुविधाएं प्रदान करने का विनिश्चय किया गया है। भूतपूर्व सदस्यों, जिन्होंने किसी भी अवधि के लिए पांच वर्ष तक सेवा की है, की पेन्शन को दस हजार रुपए से बढ़ाकर चौदह हजार रुपए प्रतिमास करने तथा प्रथम कार्यकाल की अवधि से अधिक के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेन्शन को चार सौ रुपए से बढ़ाकर पांच सौ रुपए प्रतिमास करने का भी विनिश्चय किया गया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और वेतन) अधिनियम, 1971 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमलाः
तारीखः अगस्त, 2010

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 से 4 के अधिनियमित किए जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ पचास लाख रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

———

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(सामान्य प्रशासन विभाग नस्ति संख्याः जी.ए.डी.—सी(पीए)डी(6)—1/2008)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2010 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

Bill No. 20 of 2010.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty–first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2010.

Amendment of section 6.

8 of 1971

2. In section 6 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) Each member during the term of his office shall be entitled to travel at any time by railway or by air or by State Transport Undertaking by any class within or outside the country alongwith his family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets of such journey performed, subject to maximum of seventy five thousand rupees in each financial year."; and

(b) for the existing provisos to sub-section (1), the following provisos shall be substituted, namely:—

" Provided that the member while on official tour shall also be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred by his family or any other person accompanying him to look after and assist him during travel by air or by rail or by public transport on production of tickets for such journey performed :

Provided further that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by public transport in a financial year shall not exceed seventy five thousand rupees.".

Amendment of section 6-A.

3. In section 6-A of the principal Act, in first and fourth provisos, for the words "fifteen thousand", the words "twenty thousand" shall be substituted.

Amendment of section 6-B.

4. In section 6-B of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the figures and sign " 10,000", the figures and sign "14,000" shall be substituted.; and

(b) in the first proviso to sub-section (1), for the figures and signs "400/-", the figures and signs "500/-"shall be substituted.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

On the recommendations made by the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Members Amenities Committee, it has been decided to provide more facilities for free transit by railway or by air or by State Transport Undertaking to the members/ex-members. It has further been decided to enhance pension to ex-members from Rs. 10,000/- to Rs. 14,000/- per mensem to every person who has served for any period upto five years and additional pension from Rs. 400/- to Rs. 500/- per mensem for every year in excess of the period of first term. This has necessitated amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA :

The ..... August, 2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 to 4 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 150 lakhs per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(GAD File No. GAD-C (PA) D (6)-1/2008)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2010, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.